सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आश्विन, 1947 (श०)

संख्या - 462 राँची, गुरुवार, 9 अक्टूबर, 2025 (ई०)

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

7 अक्टूबर, 2025

ज्ञापांक: 1-05 (DRDA)/2013, खण्ड-1-3700–

विषयः- W.P. (s) No. 6042/2015 एवं अन्य संलग्न वादों में दिनांक-19.05.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में राज्य के समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत महिला प्रसार पदाधिकारी के पदों पर कार्यरत एवं सेवानिवृत कर्मियों के समायोजन तथा सेवान्त लाभ की स्वीकृति के संबंध में ।

महिला प्रसार पदाधिकारियों द्वारा समायोजन हेतु माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या- W.P. (s) No. 6042/2015 एवं **अन्य संलग्न वादों में दिनांक-**19.05.2023 **को न्यायादेश पारित किया गया है, जिसका अवतरण निम्नवत हैः-**

57. Accordingly, the impugned Office Order No.21 dated 03.02.2011 as well as the impugned Letter No. 1845 dated 16.05.2018 both issued by the Principal Secretary, Rural Development Department, Ranchi are set-aside to the extent they have held and consequently they are not entitled to other service benefits such as ACP, MACP, pensionary benefits, etc. to enable the Principal Secretary, Rural Development Department, Ranchi to take a fresh decision in accordance with law taking into consideration the issues raised by the petitioners as recorded above and also in the light of the observations made by this Court in this judgment.

58. The authorized one or two representatives of the petitioners shall approach the Principal Secretary, Rural Development Department, Ranchi on 03.07.2023 by filing a detailed common representation alongwith a copy of this order. Upon filing of such representation, the Principal Secretary, Rural Development Department, Ranchi will look into the grievance of the petitioners and fix a date of hearing and pass an appropriate reasoned order after granting an opportunity of hearing to the authorized representative by 14.08.2023. The reasoned order be also communicated to the petitioners through email as well as speed post at the address which may be mentioned in the representation itself.

59. So far as the various judgments which has been relied upon by the parties are concerned, they are not being specifically dealt with in this judgment in view of the fact that fresh order is required to be passed by the aforesaid authority who has to record findings on facts. In such circumstances, it will be open to the authority to consider the judgments which may be relied upon by the parties. If required, the Principal Secretary, Rural Development Department, Ranchi may also depute an Advocate from the government side for assistance who may also be heard while passing the fresh order in terms of this judgment.

60. With the aforesaid observations and directions, all these writ petitions are disposed of.

61. Pending Interlocutory Applications, if any, are closed.

प्रखण्ड प्रशासन योजना के अंतर्गत कार्यरत महिला प्रसार पदाधिकारियों के संदर्भ में वस्तुस्थिति निम्नवत हैः-

1. **प्रखण्ड प्रशासन योजना के अंतर्गत** 194 **अस्थायी पदों के विरूद्ध झारखण्ड राज्य में वर्तमान में** 11 **महिला प्रसार पदाधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमानः-**9300-34800, **ग्रेड पे-**4200) **जिलान्तर्गत प्रखण्ड स्तर पर कार्यरत हैं तथा** 116 **सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। अधिकांश महिला प्रसार पदाधिकारी** 20 **वर्षो से अधिक अवधि से कार्यरत है ।**

2. **भारत सरकार, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-**M-11012/7/80-IRD-III **दिनांक-**27.02.1981 **के द्वारा प्रखण्ड स्तर पर प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य), प्रसार पदाधिकारी (महिला कार्यक्रम), जनसेवक आदि पद के सृजन हेतु दिये गये निदेश के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-**4452 **दिनांक-**11.05.1983 **एवं पत्रांक-**12294 **दिनांक-**29.12.1983 **के द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु** 587 **महिला प्रसार पदाधिकारी के पद का सृजन किया गया। महिला प्रसार पदाधिकारियों की नियुक्ति ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-**12294 **दिनांक-**29.12.1983 **द्वारा निदेशित प्रावधान के अंतर्गत विधिवत विज्ञापित कर प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा हुई है। ये पद अस्थायी प्रकृति के हैं और इनका समय-समय पर अवधि विस्तार किया जाता रहा है। इन पदों पर होने वाले स्थापना व्यय का भार प्रारम्भ में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा** 50:50 **के अनुपात में वहन किया गया ।**

3. **ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-**3401 **दिनांक-**10.04.1987 **के अनुसार महिला प्रसार पदाधिकारी का पद प्रखण्ड स्थापना में स्वीकृत सरकारी पद है। अविभाजित बिहार के पत्रांक-**645 **दिनांक-**15.01.1988 **के अनुसार महिला प्रसार पदाधिकारी अभिकरण के कर्मचारी नहीं हैं तथा बिहार सरकार के कर्मचारियों को अनुमान्य सभी सुविधाएं महिला प्रसार पदाधिकारी के पद पर नियुक्त कर्मचारियों को अनुमान्य है ।**

4. परियोजना निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-450 दिनांक-14.06.1988 द्वारा प्रबंध निदेशक को सूचित किया गया कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत महिला प्रसार पदाधिकारियों के मात्र वेतन का भुगतान DRDA द्वारा किया जायेगा ।

5. महिला प्रसार पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी पत्र उपायुक्त, साहेबगंज का पत्रांक-605 दिनांक-02.07.1988 उपायुक्त, देवघर का आदेश संख्या-65 सहपठित ज्ञापांक-414 दिनांक-15.06.1988 उपायुक्त, गोड्डा का आदेश ज्ञापांक-652 दिनांक-29.08.1988 में अंकित किया गया है कि महिला प्रसार पदाधिकारियों के पद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पद है तथा इन पदों हेतु सरकारी सेवकों को अनुमान्य सभी सुविधाएँलाभ अनुमान्य होगा ।

6. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2121 दिनांक-30.09.1988 द्वारा स्पष्ट किया गया कि DRDA के अन्तर्गत सृजित पदों में महिला प्रसार पदाधिकारियों के पद शामिल नही हैं। कालान्तर में ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-6050 दिनांक 23.07.1993 द्वारा पुनः स्पष्ट किया गया कि महिला प्रसार पदाधिकारियों के पद राज्य सरकार द्वारा सृजित/स्वीकृत है ।

7. ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-4585 दिनांक-03.06.1998 द्वारा निर्णय लिया गया कि पत्रांक-645 दिनांक-15.01.1988 जिसमें यह उल्लेखित है कि ''महिला प्रसार पदाधिकारी अभिकरण के कर्मचारी नहीं हैं तथा बिहार सरकार के कर्मचारियों अनुमान्य सभी सुविधाएं महिला प्रसार पदाधिकारी के पद पर नियुक्त कर्मचारियों को अनुमान्य है।' को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है एवं तदनुसार महिला प्रसार पदाधिकारियों के पद DRDA के अंतर्गत होंगे तथा DRDA विनियमन से संचालित होगी ।

8. ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-4585 दिनांक-03.06.1998 द्वारा लिये गये निर्णय को माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर C.W.J.C. No-5577/1998 में I.A. No-7639/1998 के माध्यम से चुनौती दी गई, जिसे दिनांक 15.09.1998 को पारित आदेश में अनुमति देते हुए आदेश दिया गया कि वादीगण के वेतन का भुगतान पूर्व की भाँति किया जाता रहेगा।

9. भारत सरकार के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की मार्गदर्शिका-2002 की कण्डिका 3.2 के आलोक में दिनांक-01.04.1999 से समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (I.R.D.P) के अन्तर्गत नियुक्त महिला प्रसार पदाधिकारी के वेतनादि के व्यय के भार का वहन राज्य सरकार पर आ गया है तथा इस प्रकार इनके पूरे वेतनादि के व्यय भार का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ।

10. राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप झारखण्ड राज्य को 194 महिला प्रसार पदाधिकारी के पद प्राप्त हैं। कार्यरत बल के आधार पर महिला प्रसार पदाधिकारी का प्रतिवर्ष अवधि विस्तार किया जाता रहा है। विभागीय पत्रांक- 22/स्वी0 दिनांक- 20.05.2021 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन पदों पर कार्यरत कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु माँग सं०-42 ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-उप मुख्य शीर्ष-06- स्वरोजगार कार्यक्रम-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/101-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना-उप शीर्ष-13-प्रखण्ड प्रशासन-उप योजना शीर्ष-प्रखण्ड प्रशासन-विस्तृत शीर्ष-03 प्रशासनिक व्यय-22- अन्य प्रशासनिक व्यय में उपबंधित राशि के व्यय की स्वीकृति दी गयी है ।

11. **माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर वाद संख्या-** C.W.J.C.&2028/1998 (R), **निशा सिन्हा बनाम राज्य सरकार में दिनांक-**20.09.2006 **को पारित आदेश के द्वारा महिला प्रसार पदाधिकारी को सरकारी सेवक का दर्जा देने से संबंधित निर्णय लेने हेतु निदेश दिया गया:-** "The respondents will take a policy decision as to whether Lady Extension Officer is a Government Servant or not. After taking such decision, they will also take the decision whether the services of the Lady Extension Officer is required or not. The respondents will take such decisions and pass necessary orders, based on such decisions, within four months from the date receipt of the representation of the petitioners." **इस मामले में सम्यक विचारोपरांत विभागीय कार्यालय आदेश सं**0-21 **सह पठित ज्ञापांक-**646 **दिनांक-**03.02.2011 **के अनुसार इन कर्मियों को सरकारी सेवक का दर्जा प्राप्त नहीं है ।**

12. **उक्त निर्गत कार्यालय आदेश संख्या-**21, **दिनांक-**03.02.2011 **के विरूद्ध कतिपय कर्मियों द्वारा समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय, राँची में कई वाद दायर किया गया है, जो निम्न है:-**

W.P. (s) No. 6631/2010 **क्लारा टेटे बनाम् राज्य सरकार।**
W.P. (s) No. 443/2011 **कुनुल आईन्द बनाम् राज्य सरकार।**
W.P. (s) No. 6226/2011 **माला घोष बनाम् राज्य सरकार।**
W.P. (s) No. 2008/2011 **कंचन श्रीवास्तव बनाम् राज्य सरकार।**
W.P. (s) No. 1227/2011 **मंजू रानी प्रसाद बनाम् राज्य सरकार।**
W.P. (s) No. 3417/2015 **शशि प्रभा बनाम् राज्य सरकार।**
W.P. (s) No. 6042/2015 **मंजुला पालित व अन्य बनाम् राज्य सरकार।**
W.P. (s) No. 42/2016 **अनीता कुमारी व अन्य बनाम् राज्य सरकार।**
W.P. (s) No. 2838/2016 **क्रेसेन्सिया बेक बनाम् राज्य सरकार।**
W.P. (s) No. 418/2016 **ममता सिन्हा बनाम् राज्य सरकार।**
W.P. (s) No. 772/2017 **ऊषा रानी बनाम् राज्य सरकार।**
W.P. (s) No. 2763/2017 **नूतन बाला बनाम् राज्य सरकार।**
W.P. (s) No. 6508/2017 **डॉ0 आरती कुमारी बनाम् राज्य सरकार।**
W.P. (s) No. 7284/2017 **अर्चना कुमारी व अन्य बनाम् राज्य सरकार।**

इसी क्रम में W.P (s) No.-1227/2011 **श्रीमती मंजू रानी प्रसाद व अन्य बनाम् राज्य सरकार तथा सम्बद्ध वाद में दिनांक-**17.08.2017 **को माननीय उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित अंतरिम आदेश का अवतरण निम्न रूपेण है:-**

"It is the prayer of the petitioners to regularize their services and confirm them and treat them as a Government servant and give them all benefits what has been given to the Govt. servant. It has also been brought to the notice that similarly situated persons i.e. Extension Officers and VLW's have been treated as Govt. servant. The petitioners have been discriminated. In the welfare State can the lady Extension Officers be discriminated as their counter-parts have already been regularized and confirmed? Let State Govt. come out with a definite policy decision as what are the service conditions of these present petitioners whether the States Government is going to take a policy decision regarding their regularization and confirmation as a Govt. servant as it has been done in the case of the similarly situated persons in the State of Bihar and also in the case of the Village Level Workers and the Extension Officer in the State of Jharkhand.

Let the State Govt. come out with a specific affidavit regarding aforesaid observations."

उक्त के संबंध में विभागीय संकल्प-सह-ज्ञापांक-1845 दिनांक-16.05.2018 द्वारा महिला प्रसार पदाधिकारी के सेवा शर्त का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-21 दिनांक-03.02.2011 के द्वारा लिये गये निर्णय कि महिला प्रसार पदाधिकारी सरकारी सेवक नहीं हैं, के आलोक में इन पदों पर कार्यरत कर्मियों की सेवा शर्त निम्न रूपेण निर्धारण की गई हैः-

क) चूँकि ये पद प्रखण्ड प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना अन्तर्गत सृजित है अतः इन पदों का अवधि विस्तार आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष किया जायेगा। साथ ही इन पदों पर कार्यरत कर्मियों की सेवा का अवधि विस्तार, इनकी सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर 60 वर्ष की आयु तक प्रतिवर्ष किया जा सकेगा।

ख) महिला प्रसार पदाधिकारियों को सरकारी कर्मियों के समतुल्य मँहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा पखिहन भत्ता अनुमान्य होगा।

ग) इन्हें ग्रुप बीमा, G.P.F/C.P.F का लाभ भी देय होगा।

घ) इन्हें मात्र आकस्मिक अवकाश तथा विशेष अवकाश अनुमान्य होगा।

ड.) इन्हें पेंशन, उपादान, उपार्जित अवकाश, स्थानान्तरण अनुदान अनुमान्य नहीं होगा।

च) इन्हें सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (A.C.P) तथा संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (M.A.C.P) का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

छ) साँतवा वेतन पुनरीक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-08.11.2017 तथा 14.12.2017 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में Status Quo लागू रहेगा, परन्तु यह अंतिम न्यायादेश से प्रभावित होगा।

ज) सरकारी नियमों के तहत इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

13. महिला प्रसार पदाधिकारी को सरकारी सेवक का दर्जा दिये जाने के संबंध में दायर एक अन्य W.P. (S) No- 7284 of 2014 (Archana Sinha& Ors. Vs. State of Jharkhand & Ors.) में दिनांक- 20.02.2020 को पारित न्यायादेश का मुख्य अवतरण निम्नवत हैः-

> "4. Be that as it may, without entering into the merits of the case, I hereby direct the respondent-authorities to verify the factual aspect/issue involved in the present writ petition vis. a vis. factual aspects/issue involved in W.P. (S) No- 5074 of 2015 (Anil Kumar & Ors. Vs. State of Jharkhand & Ors.) and if the facts/ issues involved in the present writ petition is found to be similar to the writ petition mentioned above, the same benefits may be extended to the present writ petitioners also, in accordance with law, within a period of six weeks from the date for receipt/production of a copy of this order.
> 5. With the aforesaid observations, this writ petition stands disposed of."

14. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-958 दिनांक-17.02.2011 द्वारा राज्य के जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के अन्तर्गत कार्यरत 70 प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) तथा 18 सांख्यिकी अन्वेषक को क्रमशः पंचायती राज विभाग, झारखण्ड के नियंत्रणाधीन सृजित एवं रिक्त पद पंचायत राज पदाधिकारी (ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक) तथा योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड के नियंत्रणाधीन सृजित एवं रिक्त पद कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक के पद के विरूद्ध समायोजित किया गया है। यह समायोजन झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 के तहत प्रभावी है। अतः इन्हें समायोजन की तिथि से सरकारी सेवक माना गया है तथा नई पेंशन योजना का लाभ दिया गया है।

15. महिला प्रसार पदाधिकारी को सरकारी सेवक का दर्जा सहित सभी सुविधा प्रदान करने से संबंधित झारखण्ड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा समय-समय पर कई अभ्यावेदन/ मांग पत्र दिया गया है ।

16. लम्बी सेवा अवधि तक कार्यरत रहने के उपरांत स्थायी सरकारी सेवक का दर्जा प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप इन कर्मियों को किसी अन्य स्थायी सेवा में प्रवेश की उम्र नहीं रह गई है। सेवान्त लाभ भुगतेय नहीं होने के कारण उम्र के अंतिम पड़ाव में इनके जीविकोपार्जन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जो सरकार के महिला सशक्तिकरण नीतियों के अनुकूल नहीं है ।

17. वर्त्तमान में क्षेत्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम एवं अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने में महिला प्रसार पदाधिकारी द्वारा योगदान दिया जाता है। अतः वर्त्तमान में विभिन्न योजनाओं का लाभ ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के बीच पहुँचाने के लिए इनकी उपयोगिता अभी भी बनी हुई है।

18. बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-15735 दिनांक-05.12.2008 द्वारा महिला प्रसार पदाधिकारी संवर्ग नियमावली, 2008 का गठन किया गया है परन्तु राज्य गठन के उपरान्त झारखण्ड सरकार द्वारा इस संवर्ग हेतु नियमावली का गठन नहीं किया गया है, झारखण्ड राज्य अन्तर्गत (राज्य गठन की तिथि से) महिला प्रसार पदाधिकारी के पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं हुई है तथा प्रखण्ड प्रसार पदाधिकारी का संवर्ग एक dying cadre है। बिहार सरकार के ज्ञापांक-6479 दिनांक-27.07.2009 द्वारा निर्णय लेते हुए अधिसूचित किया गया है कि महिला प्रसार पदाधिकारियों द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में दिए गए योगदान की तिथि से ही इन्हें सरकारी सेवक माना गया है ।

19. झारखण्ड में कार्यरत महिला प्रसार पदाधिकारी को समायोजन की तिथि से सरकारी सेवक का लाभ दिये जाने पर सेवानिवृत्ति उपरान्त अव्यवहृत उपार्जित अवकाश तथा उपादान के रूप में लगभग क्रमशः 1,48,86,026.00/- (एक करोड़ अड़तालीस लाख छियासी हजार छबीस) रूपये तथा 2,53,07,825.00/- (दो करोड़ तिरपन लाख सात हजार आठ सौ पच्चीस) रूपये का व्यय भार राज्य सरकार के ऊपर आयेगा और सेवानिवृत्त हो चुकी महिला प्रसार पदाधिकारी को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश तथा उपादान दिए जाने पर 7,13,63,680.00/- रूपये (सात करोड़ तेरह लाख तीरसठ हजार छह सौ अस्सी) का व्यय भार आएगा। चूंकि इन कर्मियों को वर्त्तमान में सरकारी सेवक के समरूप वेतन एवं भत्ता का लाभ दिया जा रहा है । अतः वेतन मद में राज्य सरकार के ऊपर अतिरिक्त व्यय बोझ नहीं आयेगा ।

20. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य तथा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में समेकित रूप से दिनांक-19.05.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में निम्नवत निर्णय लिये जाते हैं-

(i) राज्य विभाजन के उपरान्त झारखण्ड राज्य को प्राप्त कुल-194 महिला प्रसार पदाधिकारियों के पदों के विरूद्ध पूर्व में कार्यरत एवं समयसमय पर सेवानिवृत महिला प्रसार पदाधिकारियों को, उनके जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में दिए गए योगदान की तिथि से सरकारी सेवक के अनुरूप सभी अनुमान्य सुविधाएँलाभ (सेवान्त लाभ सहित) प्राप्त होंगे ।

(ii) उक्त के मद्देनजर प्रखण्ड प्रशासन योजना अन्तर्गत योजना मद में कुल-194 सृजित पदों के विरूद्ध पूर्व में कार्यरत एवं समय-समय पर सेवानिवृत महिला प्रसार पदाधिकारियों तथा वर्तमान में कार्यरत 11 महिला प्रसार पदाधिकारी के पदों का स्थापना मद-2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष- 102 सामुदायिक विकास-उपशीर्ष-10-उत्तर प्रक्रम 2 प्रखंड के अन्तर्गत स्थानान्तरण करते हुए महिला प्रसार पदाधिकारियों का समायोजन इस शर्त के साथ किया जाता है कि इनकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु के पश्चात् ये पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे। भविष्य में इन पदों पर कोई नई नियुक्ति (अनुकम्पा सहित) नहीं की जायेगी ।

(iii) समायोजन के पश्चात् महिला प्रसार पदाधिकारी के पूर्व अवधि का बकाया वेतनादि का भुगतान स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष- 2515 से किया जायेगा ।

(iv) उपर्युक्त पर स्वीकृति के फलस्वरूप ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का का०आ०सं०-21 सहपठित ज्ञापांक- 646 दिनांक-03.02.2011 तथा संकल्प ज्ञापांक- 1845 दि0-16.05.2018 को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है ।

(v) समायोजन के पश्चात् महिला प्रसार पदाधिकारियों के पदों पर प्रशासनिक नियत्रंण ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को होगा तथा ये पद राज्य स्तरीय होंगे ।

(vi) माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ लिए जा रहे इस निर्णय को भविष्य में किसी भी परिस्थिति में पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा तथा भविष्य में इस निर्णय के उपरांत राज्य अन्तर्गत किसी भी सेवा अथवा संवर्ग द्वारा किए गए माँग पर विचार नहीं किया जाएगा ।

21. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति विभागीय संलेख ज्ञापांक-2171 दिनांक-13.06.2025 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-24.09.2025 के बैठक के मद संख्या-17 में दी गयी है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० श्रीनिवासन,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 462 - 50